

- आदेश -

जनपद चमोली में कोटी बैण्ड से घतोड़ा देवीधार मोटर मार्ग किमी 0.2 से 6 तक के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.099 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 2.198 है० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के पत्र सं०-08वीं/यू०सी०पी०/06/119/2016/एफ०सी०/940 दिनांक 06.9.2017 की शर्त सं०-1 के अनुसार उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली में कोटी बैण्ड से घतोड़ा देवीधार मोटर मार्ग किमी 0.2 से 6 तक के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.099 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम घतोड़ा, प०वृ० कोटी, तहसील कर्णप्रयाग की सीमान्तर्गत चिन्हित ख०खा० सं०-11 के खसरा सं०-460 रकवा 1.650 है० मध्ये 1.100 है० भूमि, एवं खसरा 461 रकवा 1.911 है० मध्ये 1.098 है० भूमि अर्थात् कुल 2.198 है० भूमि, जो कि उत्तराखण्ड सरकार की नॉनजेडए श्रेणी-9(3)ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज हैं, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं०-2173/XVIII(II) /2012-18 (120) /2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(आशीष जोशी),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 3183/छब्बीस-13 (2017-2018) गोपेश्वर: दिनांक: 3 मार्च, 2018

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, कर्णप्रयाग।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग।

R.S. कोटी
मुख्य निपटारा (खण्ड) से
सं. अमल एवं
का आख्या
R.K.
4/4/18

पतांक 110 सूत्र-८
दिनांक 1/2018
प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता मुख्यालय को.
नि.वि. कर्णप्रयाग/खण्डीय बरीन को सूचना एवं जिलाधिकारी,
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
चमोली।

नकल खतान N.Z.A ग्राम दालोडा पटवारी वृत्त कोरी तह ० कर्णप्रमाण
पिल्ला चोली

1	2	3	4	5	6	7	8 र 21
11	डैगी	व (5) अन्य कृषि	सौगंध	वज्र मेमि	मोपडा	को धार	मि. कुमावडीका प्रगनाचिकारी मंदोपन
	वज्र			12	1=	को धार	कणप्रमाण के दि 9-5-66 के दयाकी
				16	=	को -	पुर दाकी के गन खनाली अकि आवस
				xxx	xxx	xxx	मि. अमल दामद किपा
				xxx	xxx	xxx	को पटवारी
				177	1=	जोरेडीवगड	9/10/66
				184	11=	परेसिका	कुमावडीका प्रगनाचिकारी मंदोपन
				xxx	xxx	xxx	कणप्रमाण के दि 9-5-66 के कागज
				xxx	xxx	xxx	पुर दाकी के गन खनाली अकि आवस
				460	1311	लंगर गार	के अमल दामद किपा
				461	1511=	को -	को पटवारी
				xxx	xxx	xxx	9/10/66
				xxx	xxx	xxx	
				801	111=	वागडुगड	
				803	11	को	
				xxx	xxx	xxx	
				xxx	xxx	xxx	
				1180	11=	कुलाधार	कुमावडीका प्रगनाचिकारी मंदोपन कोडी के
				xxx	xxx	xxx	कोडी के दि 12/3/01 के कम में खोले
				xxx	xxx	xxx	1661 रमवा अकिनाली अकि वनपंचायत
				1661	2=	मंगोली	के गन स्वीकृत होने से अमल दामद
				xxx	xxx	xxx	किपा गम-
				xxx	xxx	xxx	हो पटवारी
				1771	28=	अजदियरे	कोरी
				230	96651=		

N.Z.A खतान की नकल अमल से की गई है

तहसीलदार
कोरी
कर्णप्रमाण (चोली)

11/12/66
कोरी

उप निवासी
कोरी

उप जिला अधिकारी
कोरी

